संख्याः 1305/XXIV-3/08/02(81)2005

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 04अगस्त, 2008

विषयः– राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, हरिद्वार के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख1/13488/रा0गा0न0वि0/2008–09; दिनांकः 03जुलाई, के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 109/माध्यमिक/2004; दिनांकः 18.03.2004 तथा शासनादेश संख्याः 649/XXIV-3/2006/2(81)/2005 दिनांकः 18.12.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, हरिद्वार के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0रा0नि0नि0 लि0, हरिद्वार इकाई, हरिद्वार द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन की अनुमोदित लागत रू0 1345.00 लाख के सापेक्ष में पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 1139.00 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 206.00 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 150.00 लाख (रूपये एक सौ पचास लाख मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/2008/02(37)2008; दिनांकः 16अप्रैल, 2008 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाये।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः.....2

अर्पित

(6)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से भी अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निदेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

(9)– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करनें पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(10)– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(11)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय।

(12)– निर्माण कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष/संस्था को उपलब्ध करायें जायेंगें।

(13)– विभाग निर्माण कार्य की गुणवत्ता/प्रगति की चेकिंग की कार्यो की व्यवस्था थर्ड पार्टी से करायेंगे तथा इसका व्यय सेन्टेज चार्जेज में निहित धनराशि से वहन करना होगा।

2.– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेल–कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–00–16–राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा.

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः XXVII(1)/08; दिनॉकः 27मार्च, 2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

/

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्याः 1305(1)/XXIV-3/08/02(81) 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।

क्रमशः.............3

अर्पण

6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल – पौड़ी।
7– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9– कोषाधिकारी, हरिद्वार।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
11– संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
12– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव